"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर 17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 16] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 18 अप्रैल 2003—चैत्र 28, शक 1925

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग

विज्ञापन क्रमांक 01/2003/परीक्षा
दिनांक 02/04/2003

आयोग कार्यालय में आवेदन प्राप्त होने की अन्तिम तिथि 03 मई, 2003

एक- भारतीय नागरिक और भारत शासन द्वारा मान्य अन्य श्रेणियों के उम्मीदवारों से छत्तीसगढ़ शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग के अंतर्गत, निम्नानुसार रिक्त **व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2** के अस्थायी पदों के लिए, निर्धारित प्रपत्र में आवेदन-पत्र आमंत्रित किये जाते हैं :-

		पु.	म.	योग
(अ)	अनारक्षित पदों की संख्या	11	05	16
(ब)	अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित पदों की संख्या	03	01	04
(स)	अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित पदों की संख्या	04	02	06
(द)	अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित पदों की संख्या	03	01	04
(य)	कुल योग	**21**	**09**	**30**

पदों की संख्या परिवर्तनीय है

दो- (1) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पद केवल छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित है. अन्य प्रदेशों के मूल निवासी ऐसे आवेदक जो अपने मूल निवास के राज्य में अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्य हैं, उनको छत्तीसगढ़ राज्य के लिए अनुसूचित जाति/जनजाति के सन्दर्भ में अधिसूचना एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्यता नहीं होने के कारण अनारक्षित पदों के विरूद्ध ही अनारक्षित पदों के उम्मीदवारों की तुलना में विचारित किये जा सकेंगे, आरक्षित पदों के विरूद्ध नहीं.

(2) छत्तीसगढ़ के ऐसे मूल निवासी जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अथवा अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं, वे आवेदन-पत्र में अपना वर्ग अंकित करें.

तीन- (अ) एक माह का नोटिस देकर किसी भी पक्ष द्वारा नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी.

(ब) परिवीक्षा की अवधि छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम 1994 के नियम 11 अनुसार निर्धारित होगी.

(स) चयनित उम्मीदवारों को प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी स्वस्थ होने संबंधी चिकित्सा प्रमाण-पत्र निर्धारित शुल्क का भुगतान कर प्रस्तुत करना होगा.

चार- पद का विवरण

(क) श्रेणी-राजपत्रित द्वितीय श्रेणी

(ख) वेतनमान- 8000-275-13500 रुपये. इसके अतिरिक्त समय-समय पर प्रचालित दरों के अनुसार महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते देय होंगे.

(ग) आवश्यक अर्हता- मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि की स्नातक उपाधि.

(घ) आयु सीमा- 1 जनवरी, 2004 को 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो, किन्तु 35 वर्ष से अधिक न हो.

पांच- उच्चतम आयु सीमा में छूटें-

(1) छत्तीसगढ़ के मूल निवासी उम्मीदवार जो कि छत्तीसगढ़ के लिए अधिसूचित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं छत्तीसगढ़ शासन द्वारा मान्य की गई अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदक हैं, उन्हें अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी.

(2) छत्तीसगढ़ शासन के स्थाई या अस्थाई शासकीय सेवक की उच्चतम आयु सीमा 38 वर्ष शिथिलनीय होगी.

(3) महिला अभ्यर्थियों की आयु दस वर्ष शिथिलनीय होगी.

टीप- यदि कोई आवेदक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का सदस्य होने के साथ-साथ शासकीय सेवा में भी हो तो उसे बिन्दु क्रमांक (1) के अंतर्गत निर्धारित 40 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा संबंधी लाभ मिलेगा.

उपर्युक्त कंडिका-पांच में उल्लेखित उच्चतम आयु सीमा में छूट की पात्रता तत्संबंधी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर ही होगी.

छः- यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि वे आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अर्हताओं और शर्तों को पूरा करते हैं. अतः आवेदन करने से पहले आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर लें और अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन-पत्र भेजें. परीक्षा में प्रवेश देने अथवा साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करने का अर्थ कदापि नहीं होगा कि आवेदक को अर्ह मान लिया गया है. चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन-पत्र निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त की जाएगी.

सात- आवेदन-पत्र भरने के संबंध में निर्देश/जानकारी- न्यायिक सेवा प्रारंभिक परीक्षा-2003 के लिये कम्प्यूटराईज्ड प्रपत्र एवं आवेदन-पत्र कुल चार पृष्ठ अर्थात् दो पन्ने का है जो कि रोजगार और नियोजन (छ. ग. शासन के जनसंपर्क संवाद) में उपलब्ध है.

(1) आवेदन-पत्र में कुल 14 बिन्दु हैं और इन्हें सावधानी से सहायता निर्देशों की मदद से भरा जाना है.

(2) आवेदन-पत्र छ. ग. शासन, जनसंपर्क विभाग की सहयोगी संस्था संवाद का रोजगार मूलक साप्ताहिक "रोजगार और नियोजन" में प्राप्त किया जा सकता है. (इसके साथ ही छ. ग. संवाद के निम्न पते पर सूचित करके यह प्रति मंगवा सकते हैं :- संपादक रोजगार और नियोजन छ. ग. संवाद धमतरी रोड, पचपेढ़ी नाका, रायपुर).

(3) कम्प्यूटर पत्रक एवं आवेदन-पत्र रोजगार और नियोजन में इस विज्ञापन के साथ उपलब्ध (आवेदन-पत्र क्रमांक सहित) मूल आवेदन-पत्र एवं कम्प्यूटर पत्रक ही उपयोग में लाया जाना है. छायाप्रति या टंकित कम्प्यूटर पत्रक एवं आवेदन-पत्र मान्य नहीं किया जाएगा.

(4) विज्ञापन के साथ उपलब्ध कम्प्यूटर पत्रक एवं आवेदन-पत्र में यदि नहीं भेजे जावेंगे, उन पर विचार नहीं किया जाएगा.

(5) एक लिफाफे में एक ही कम्प्यूटर पत्रक एवं आवेदन-पत्र (एक ही नम्बर का) रखा जाए. यदि लिफाफे के अंदर एक से अधिक सेट आवेदन-पत्र पाया जाता है तो आयोग

केवल किसी एक आवेदन-पत्र को स्वीकार करने का अधिकार रखेगा, शेष आवेदन-पत्र निरस्त किये जायेंगे.

(6) आवेदन-पत्र के लिफाफे पर "विज्ञापन क्रमांक एवं आवेदित पद" का नाम बड़े अक्षरों में लिखें तथा उसे रेखांकित करें और लिफाफे पर पता लिखने के स्थान पर परिशिष्ट "स" में प्रकाशित कूपन चिपकाएं. इस विवरण के बगैर प्राप्त लिफाफे के आवेदन-पत्र पर आयोग द्वारा कोई कार्यवाही संभव नहीं होगी.

(7) संख्या लिखने में अन्तर्राष्ट्रीय अंकों यथा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 का ही प्रयोग करें.

(8) आवेदक अपने कम्प्यूटर पत्रक एवं आवेदन-पत्र में निर्दिष्ट स्थान पर स्वयं के पासपोर्ट आकार का फोटो अनिवार्यतः चिपकाएं. आवेदन में निर्दिष्ट स्थान/स्थानों पर आवेदक के हस्ताक्षर आवश्यक हैं. फोटो एवं हस्ताक्षर के अभाव में आवेदन-पत्र निरस्त कर दिया जायेगा.

(9) आवेदक कम्प्यूटर पत्रक के निर्धारित स्थान पर रुपये 6/- का डाक टिकिट लगायें और अपना पता स्पष्ट लिखें, जिस पर उन्हें आवेदन-पत्र के पंजीयन की सूचना आयोग द्वारा भेजी जायेगी.

(10) आवेदन-पत्र के लिफाफे पर आवेदक अपना पूरा नाम तथा पता जैसा कि उसने आवेदन-पत्र में लिखा है, स्पष्ट लिखें.

(11) आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 03-05-2003 है. अंतिम तिथि को सायंकाल 5.30 बजे तक आयोग कार्यालय में आवेदन-पत्र पहुंचाने का उत्तरदायित्व आवेदक का है. आयोग कार्यालय के काउन्टर पर भी कार्यालयीन समय (प्रातः 10.30 से सायं 5.30 तक) में प्रत्येक कार्यदिवस को अंतिम तिथि तक आवेदन-पत्र दिये जा सकते हैं, जिसकी रसीद उसी समय दी जायेगी. डाक से प्राप्त होने वाले आवेदन-पत्र अंतिम तिथि को सायं 5.30 बजे तक आयोग कार्यालय में प्राप्त होने पर ही अंतिम तिथि तक प्राप्त हुए माने जायेंगे. डाक में विलंब के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं रहेगा.

आठ- आवेदन-पत्र भेजने का पता-

सचिव,
छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग,
शंकर नगर रोड,
रायपुर-492001

नौ- परीक्षा एवं आवेदन शुल्क-

उपर्युक्त पद के लिए लिखित परीक्षा आयोग द्वारा दो चरणों में आयोजित की जायेगी. प्रथम चरण में प्रारंभिक परीक्षा-मुख्य परीक्षा के लिये आवेदकों की संख्या को यथोचित सीमा तक सीमित करने के लिये आयोजित की जायेगी.

प्रारंभिक परीक्षा के लिये परीक्षा एवं आवेदन शुल्क निम्नानुसार निर्धारित है-

(अ) छत्तीसगढ़ के ऐसे मूल निवासी आवेदक जो कि छत्तीसगढ़ के लिये अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अथवा अन्य पिछड़ा वर्ग की श्रेणी में आते हैं, के लिये आवेदन शुल्क रुपये 25.00 तथा परीक्षा शुल्क रुपये 50.00 कुल राशि रुपये 75.00.

(ब) शेष सभी श्रेणी के आवेदकों तथा छत्तीसगढ़ के बाहर के निवासी समस्त आवेदकों के लिये आवेदन शुल्क रुपये 50.00 तथा परीक्षा शुल्क रुपये 100.00 कुल राशि रुपये 150.00.

उपर्युक्त शुल्क प्रत्येक आवेदन-पत्र के साथ देय है. मुख्य परीक्षा के लिये अर्ह प्रत्येक आवेदक को अलग से निम्नानुसार परीक्षा शुल्क देना होगा.

(स) छत्तीसगढ़ के ऐसे मूल निवासी आवेदक जो कि छत्तीसगढ़ के लिये अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अथवा अन्य पिछड़ा वर्ग की श्रेणी में आते हैं, के लिये आवेदन शुल्क रुपये 25.00 तथा परीक्षा शुल्क रुपये 50.00 अर्थात् कुल राशि रुपये 75.00.

(द) अन्य सभी श्रेणी के आवेदकों के लिए आवेदन शुल्क रुपये 50.00 तथा परीक्षा शुल्क रुपये 100.00 अर्थात् कुल राशि रुपये 150.00.

उपर्युक्त शुल्क आयोग द्वारा केवल बैंक ड्राफ्ट के रूप में ही स्वीकार किया जाएगा. नगद, मनीआर्डर अथवा चेक आदि से भेजा गया शुल्क किसी भी स्थिति में मान्य नहीं किया जाएगा और ऐसे आवेदन उचित शुल्क के अभाव में त्रुटिपूर्ण मानकर अस्वीकृत कर दिये जायेंगे. बैंक ड्राफ्ट सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर के नाम से बनवाकर भेजा जावे जो कि भारतीय स्टेट बैंक कचहरी शाखा, रायपुर पर देय (Payable) हो अर्थात् परीक्षा एवं आवेदन शुल्क का आवेदन-पत्र के साथ भेजे जाने वाला बैंक ड्राफ्ट भारतीय स्टेट बैंक, कचहरी शाखा, रायपुर पर देय (Payable) होना चाहिये. यह बैंक ड्राफ्ट किसी भी अधिसूचित बैंक द्वारा जारी किया जा सकता है. आवेदक बैंक ड्राफ्ट के पीछे अपना पूरा नाम, जारी करने वाले बैंक एवं ब्रांच का पूरा नाम, पता तथा आवेदित पद का नाम अवश्य लिखें.

अत्यंत आवश्यक- बैंक ड्राफ्ट भेजने से पहले उसका भलीभांति परीक्षण कर कृपया संतुष्टि कर लें कि उसमें किसी प्रकार की त्रुटि या कमी नहीं है. त्रुटिपूर्ण या अपूर्ण बैंक ड्राफ्ट पाये जाने की दशा में आवेदन-पत्र निरस्त माना जायेगा.

टीप- (एक) आयोग को प्राप्त आवेदन शुल्क केवल निम्नानुसार परिस्थितियों में ही आवेदकों को वापस किया जायेगा :-

(1) यदि आयोग द्वारा विज्ञापित विज्ञापन निरस्त किया जाए, अथवा

(2) यदि किसी कारण से परीक्षा या चयन की कार्यवाही निरस्त कर दी जाये.

(दो) निर्धारित अंतिम तिथि के पश्चात् प्राप्त तथा निरस्त किये गये आवेदन-पत्रों के साथ संलग्न, बैंक ड्राफ्ट नहीं लौटाये जायेंगे. इसलिए आवेदकों के लिए सुझाव है कि अंतिम तिथि तक प्रतीक्षा करने के बजाये उसके काफी पहले आवेदन-पत्र भेजना उनके हित में होगा.

महत्वपूर्ण- निर्धारित शुल्क का बैंक ड्राफ्ट आवेदन-पत्र के साथ भेजना आवश्यक है. इसके अभाव में अथवा बैंक ड्राफ्ट में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर आवेदन-पत्र आयोग द्वारा मान्य नहीं किया जायेगा.

दस- आवेदन-पत्र के साथ निर्धारित शुल्क का बैंक ड्राफ्ट अवश्य संलग्न किया जावे.

ग्यारह- नियोक्ता की अनापत्ति.

सभी उम्मीदवारों को चाहे वे पहले से सरकारी नौकरी में हों या सरकारी उपक्रम में हों या किसी प्रकार के अन्य संगठनों में हों या गैर सरकारी संस्थाओं में नियुक्त हों अपने आवेदन-पत्र आयोग को सीधे भेजने चाहिये. अगर किसी उम्मीदवार ने अपना आवेदन प्रपत्र अपने नियोक्ता के द्वारा भेजा हो और वह आयोग में देरे से पहुंचा हो तो उस आवेदन-पत्र को समय बाधित (time barred) माना जाएगा और उस पर विचार नहीं किया जायेगा भले ही यह नियोक्ता को आखिरी तारीख से पहले प्रस्तुत किया गया हो.

जो व्यक्ति पहले से सरकारी नौकरी में स्थाई या अस्थाई हैसियत से काम कर रहा हो या किसी काम के लिये विशिष्ट रूप से नियुक्त कर्मचारी हो, जिसमें आकस्मिक या दैनिक दर पर नियुक्त कर्मचारी हो जिसमें आकस्मिक या दैनिक दर पर नियुक्त व्यक्ति शामिल नहीं है. उनको अथवा जो लोक सेवा उद्यमों के अधीन कार्यरत हैं, उनको यह परिवचन (अंडरटेकिंग) प्रस्तुत करना होगा कि उन्होंने लिखित रूप से अपने कार्यालय/विभाग के अध्यक्ष को सूचित कर दिया है कि उन्होंने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया है. उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि यदि आयोग को उनके नियोक्ता से उनके उक्त परीक्षा के लिए आवेदन करने/परीक्षा में बैठने से संबद्ध अनुमति रोकते हुए कोई पत्र मिलता है तो उनका आवेदन-पत्र अस्वीकृत कर उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जायेगी.

बारह- ऐसे आवेदक को आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा, जिसे आयोग ने निम्नलिखित के लिये दोषी पाया हो :-

(1) जिसने अपनी उम्मीदवारी के लिए परीक्षा या साक्षात्कार में किसी भी तरीके से समर्थन प्राप्त किया हो या उसके लिये प्रयास किया हो, या

(2) पर रूप धारण (इम्परसोनेशन) किया हो, या

(3) किसी व्यक्ति से पररूप धारण कराया हो/किया हो, या

(4) फर्जी दस्तावेज या ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत किये हों जिनमें फेरबदल किया गया हो, या

(5) चयन के किसी भी स्तर पर असत्य जानकारी दी हो या सारभूत जानकारी छिपायी हो, या

(6) परीक्षा में प्रवेश पाने के लिये कोई अन्य अनियमित या अनुचित साधन अपनाया हो, या

(7) परीक्षा कक्ष में अनुचित साधनों का उपयोग किया हो या करने का प्रयास किया हो, या

(8) परीक्षा संचालन में लगे कर्मचारियों को परेशान किया हो या धमकाया हो या शारीरिक क्षति पहुंचाई हो, या

(9) उनके प्रवेश-पत्र में उम्मीदवारों के लिये दी गई किन्हीं भी हिदायतों या अन्य अनुदेशों (पहचान चिन्ह अंकित करने से संबंधित अनुदेशों को छोड़कर) जिनमें परीक्षा संचालन में लगे केन्द्र पर्यवेक्षक या अन्य कर्मचारी द्वारा मौखिक रूप से दी गई हिदायतें भी शामिल हैं, का उल्लंघन किया हो, या

(10) परीक्षा कक्ष में या साक्षात्कार में किसी अन्य तरीके से दुर्व्यवहार किया हो.

उपर्युक्त प्रकार से दोषी पाये जाने वाले आवेदकों को अपराधिक अभियोजन के अलावा उन पर निम्नलिखित कार्यवाही भी की जा सकेगी :-

(क) आयोग द्वारा उस चयन के लिये जिसके लिये वह उम्मीदवार है उसकी उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी और/या

(ख) उसे या तो स्थाई रूप से या विशिष्ट अवधि के लिये निम्नलिखित से विवर्जित किया जायेगा :-

(एक) आयोग द्वारा ली जाने वाली परीक्षा से या उनके द्वारा किये जाने वाले चयन से.

(दो) राज्य शासन द्वारा या/तथा उसके अधीन नियोजन से वंचित किया जा सकेगा और

(ग) यदि वह शासन के अधीन पहले से सेवा में हो तो उपर्युक्त नियमों के अधीन उस पर अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकेगी. परन्तु उपर्युक्त कार्यवाही के परिणामस्वरूप कोई शास्ति तब तक आरोपित नहीं की जायेगी जब तक कि

(एक) उम्मीदवार को लिखित में ऐसा अभ्यावेदन, जो वह इस संबंध में देना चाहे, प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया हो, और

(दो) उम्मीदवार द्वारा अनुमत अवधि के भीतर प्रस्तुत किये गये अभ्यावेदन पर विचार न किया गया हो.

(घ) पहचान चिन्ह-

उत्तर-पुस्तिका पर परीक्षार्थी केवल निर्धारित स्थान पर ही अपना अनुक्रमांक लिखें. यदि उम्मीदवार उत्तर-पुस्तिका के अन्य किसी भाग पर अनुक्रमांक एवं/या अपना नाम लिखेंगे तो उसे पहचान चिन्ह बनाना माना जायेगा. ऐसे पहचान चिन्ह वाले प्रकरणों में आवेदकों को नोटिस देना अनिवार्य नहीं रहेगा तथा बिना किसी सूचना के उनकी उम्मीदवारी तथा परीक्षा निरस्त की जा सकेगी.

तेरह- प्रवेश-पत्र

आयोग उन सभी आवेदकों को, जिनके उचित रीति से भरे हुए आवेदन-पत्र आयोग कार्यालय में अन्तिम तिथि तक समय-सीमा में पहुंच जायेंगे, साधारण डाक से प्रवेश-पत्र भेजेगा. यदि लिखित परीक्षा के दिनांक से पन्द्रह दिवस पूर्व तक किसी आवेदक को आयोग से भेजा गया प्रवेश-पत्र प्राप्त न हो तो वे इसके तत्काल पश्चात् आयोग कार्यालय से संपर्क करें. आयोग कार्यालय से उन्हें उनका परीक्षा केन्द्र तथा प्रवेश-पत्र की दूसरी प्रति दी जायेगी तथा यह सुविधा परीक्षा दिनांक से सात दिवस पूर्व तक दी जायेगी. परीक्षा केन्द्र की जानकारी किसी भी स्थिति में टेलीफोन पर नहीं दी जायेगी. ऐसे अर्ह आवेदकों को, जिन्होंने अंतिम तिथि तक भरे हुए आवेदन-पत्र आयोग कार्यालय में पहुंचा दिये हैं, उन्हें आयोग द्वारा आवंटित परीक्षा केन्द्र स्थान पर ही परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता होगी. विलंब से प्राप्त आवेदन-पत्रों के आवेदकों के नाम नामीनल रोल में सम्मिलित नहीं होंगे. यदि किसी आवेदक का नाम नामीनल रोल में सम्मिलित नहीं है, परन्तु उसे आयोग की ओर से प्रवेश-पत्र प्राप्त हो चुका है तो वह केन्द्राध्यक्ष से मिलकर अपना प्रवेश-पत्र प्रस्तुत करें. केन्द्राध्यक्ष संतुष्ट होने पर उसे उसी केन्द्र पर परीक्षा में सम्मिलित करेंगे.

चौदह- परीक्षा केन्द्र :- लिखित परीक्षा के लिए.

प्रारंभिक परीक्षा के लिए - अंबिकापुर कोड नं. (1)

बिलासपुर कोड नं. (2)

दुर्ग कोड नं. (3)

जगदलपुर कोड नं. (4)

रायपुर कोड नं. (5)

रायगढ़ कोड नं. (6)

राजनांदगांव कोड नं. (7)

तथा

मुख्य परीक्षा के लिए- बिलासपुर कोड नं. (2) रायपुर कोड नं. (5) रहेंगे.

यह आवश्यक नहीं है कि आवेदक द्वारा भरा गया परीक्षा केन्द्र ही उसे आवंटित किया जायेगा. आयोग परीक्षा केन्द्र की क्षमता एवं प्रशासकीय सुविधा की दृष्टि से परीक्षा केन्द्र आवंटित करेगा. आवेदक को आवंटित परीक्षा केन्द्र पर ही परीक्षा देनी होगी.

पन्द्रह- अंतिम चयन का आधार-अंतिम चयन मुख्य लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के योग के आधार पर गुणानुक्रम में किया जायेगा. साक्षात्कार के लिये आवेदकों को आमंत्रित करने के संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा. साक्षात्कार के लिए अधिकतम 25 अंक निर्धारित हैं.

उपर्युक्त पदों के लिए लिखित परीक्षा आयोग द्वारा दो चरणों में आयोजित की जायेगी. प्रथम चरण में प्रारंभिक परीक्षा मुख्य परीक्षा के लिये आवेदकों की संख्या को सीमित करने के लिये आयोजित की जायेगी. प्रारंभिक परीक्षा में सम्मिलित आवेदकों में से श्रेणीवार विज्ञप्त पदों की संख्या के यथासंभव 15 गुना आवेदकों को गुणानुक्रम में मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने के लिये अर्ह घोषित किया जाता है. इसमें अंतिम अर्ह उम्मीदवार के समान अंक प्राप्त करने वाले सभी उम्मीदवार भी अर्ह घोषित किये जायेंगे भले ही इसके परिणामस्वरूप मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने के लिये अर्ह घोषित किये जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या 15 गुना से अधिक हो जाये. उपर्युक्त पद्धति मुख्य परीक्षा में साक्षात्कार के लिये रिक्तियों के यथासंभव तीन गुना आवेदक गुणानुक्रम में अर्ह घोषित किये जाने के बारे में भी अपनाई जायेगी.

प्रारंभिक परीक्षा मुख्य परीक्षा के लिये अर्ह उम्मीदवारों के चयन के लिये केवल अनुवीक्षण (स्क्रीनिंग) परीक्षा होगी. प्रारंभिक परीक्षा की अंकसूची नहीं भेजी जायेगी और न ही इस परीक्षा के अंक मेरिट सूची बनाते समय कुल प्राप्त अंकों में जोड़े जायेंगे.

सोलह- प्रारंभिक तथा मुख्य लिखित परीक्षा की योजना तथा पाठ्यक्रम परिशिष्ट अ तथा परिशिष्ट ब में विज्ञापन के साथ प्रकाशित है. परीक्षा कार्यक्रम की सूचना यथा समय प्रकाशित की जायेगी.

टीप- साक्षात्कार में अनुपस्थित रहने वाले आवेदकों को चयन के लिये अनर्ह माना जायेगा.

सत्रह- सामान्यतया अंतिम चयन सूची आयोग द्वारा जारी किये जाने के पश्चात मुख्य परीक्षा तथा साक्षात्कार की संयुक्त अंकसूची आवेदकों को सामान्य डाक से उनके आवेदन-पत्र में दर्शाये पते पर भेजी जाती है किन्तु यदि किसी आवेदक को आयोग द्वारा भेजी गई अंकसूची किसी कारणवश प्राप्त नहीं होती है तो अंतिम चयन परिणाम की घोषणा के एक वर्ष के भीतर डुप्लीकेट अंकसूची प्राप्त करने के लिये रजिस्टर्ड डाक के लिये पर्याप्त डाक टिकिट लगा और स्वयं का पता लिखा लिफाफा तथा रुपये 25 का रेखांकित पोस्टल आर्डर- बैंक ड्राफ्ट सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर-492001 के नाम से भेजें.

पहचान चिन्ह वाले प्रकरणों के कारण जिन आवेदकों की उम्मीदवारी निरस्त की जायेगी उन्हें अंकसूची नहीं भेजी जायेगी.

आयोग की परीक्षा प्रणाली में पुनर्मूल्यांकन का कोई प्रावधान नहीं है, इस विषय में प्राप्त अभ्यावेदनों पर कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी.

अठारह- यात्रा व्यय का भुगतान- (अ) परीक्षा के लिए :- छत्तीसगढ़ के ऐसे मूल निवासी को तथा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं छत्तीसगढ़ शासन द्वारा मान्य अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदक जो किसी सेवा में न हों उन्हें परीक्षा में सम्मिलित होने पर छत्तीसगढ़ शासन के प्रचलित नियमों के अधीन यात्रा व्यय का नगद भुगतान वापसी यात्रा के पूर्व परीक्षा केन्द्र पर केन्द्राध्यक्ष द्वारा किया जायेगा. आवेदकों को इसके लिये केन्द्राध्यक्ष को वांछित घोषणा-पत्र भरकर देना होगा। तथा यात्रा भत्ते की पात्रता से संबंधित आवश्यक सभी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होंगे.

(ब) साक्षात्कार के लिये-

साक्षात्कार हेतु उपस्थित होने वाले उपर्युक्त श्रेणियों के आवेदकों को कंडिका-अ में दी गई शर्तों के अधीन यात्रा व्यय का भुगतान नियमानुसार आयोग कार्यालय द्वारा किया जायेगा.

उन्नीस- अपूर्ण अथवा त्रुटिपूर्ण जानकारी -

(1) आवेदक को चाहिए कि वह विज्ञापन में दिये गये निर्देशों तथा कम्प्यूटर पत्रक/आवेदन-पत्र की "सहायता निर्देश" की मदद से अत्यन्त सावधानीपूर्वक सही और पूरी जानकारी भरें. प्रारंभिक परीक्षा के इस आवेदन-पत्र को मुख्य परीक्षा के लिए आधार माना जायेगा. यदि आवेदन-पत्र में कोई जानकारी अपूर्ण अथवा त्रुटिपूर्ण दी जाती है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी आवेदक की होगी, तथा त्रुटि या अपूर्णता के आधार पर आवेदक को पूर्व सूचना दिये बिना, आवेदन-पत्र चयन के किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकेगा. गलत जाति प्रमाण-पत्र देने अथवा कम्प्यूटर पत्रक या आवेदन-पत्र में जाति संबंधी गलत कोड नंबर भरने या अन्य त्रुटि होने पर भी आयोग चयन के किसी भी स्तर पर उम्मीदवारी निरस्त कर सकेगा और आवश्यक सम्यक् निर्णय ले सकेगा.

(2) प्रत्येक आवेदक से अपेक्षा है कि आवेदन पत्र के 0 (गोले) और [ ] (बाक्स) में एक समान जानकारी भरें. परीक्षार्थियों के नामांकन रोल की तैयारी एवं परीक्षा परिणाम की घोषणा कम्प्यूटर द्वारा ही की जाना है. अतएव यदि आवेदन-पत्र के गोलों एवं बाक्सों में दी गई किसी भी जानकारी में भिन्नता पाई जाती है तो बाक्सों में दी गई जानकारी को ही सही माना जायेगा एवं इस संदर्भ में आवेदक की कोई आपत्ति स्वीकार नहीं की जायेगी. अतएव कम्प्यूटर पत्रक के गोलों को काला कर दी गई जानकारी के समान ही आवेदन-पत्र के बाक्सों में भी जानकारी दें एवं दोनों में पूर्ण साम्य रखें.

बीस- यदि आवेदक के पते में कोई परिवर्तन होता है तो उसकी सूचना आयोग को तत्काल भेजी जावे, साथ में 11.5 से.मी. x 27.5 से.मी. आकार के परिवर्तित पता लिखे तथा पर्याप्त डाक टिकट लगे दो लिफाफे भी भेजे जायें. यद्यपि आयोग परिवर्तित पते को ध्यान में रखकर कार्यवाही करने का पूरा प्रयास करता है किन्तु इस मामले में आयोग कोई उत्तरदायित्व नहीं ले सकता.

प्रारंभिक परीक्षा हेतु आयोग के समक्ष आयु में छूट संबंधी प्रमाण-पत्र संलग्न करें, सभी प्रमाण-पत्र मुख्य परीक्षा के आवेदन-पत्र के साथ संलग्न किये जाना हैं, मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन-पत्र का प्रारूप या उसके संबंध में सूचना प्रारंभिक परीक्षा के परीक्षाफल के साथ दी जायेगी.

सचिव

न्यायिक सेवा परीक्षा योजना 2003-2004

(1) न्यायिक सेवा परीक्षा निम्नानुसार दो चरणों में होगी :-

प्रारंभिक परीक्षा

इस परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के दो प्रश्न-पत्र होंगे, प्रत्येक के कुल अंक 100 होंगे. प्रत्येक प्रश्न-पत्र की अवधि दो घंटे होगी. प्रत्येक प्रश्न-पत्र में एक-एक अंक के 100 प्रश्न होंगे. प्रत्येक प्रश्न के चार वैकल्पिक उत्तर होंगे, जिनमें से एक सही उत्तर का चयन करना होगा. प्रथम प्रश्न-पत्र में सामान्य अध्ययन से संबंधित प्रश्न और दूसरे प्रश्न-पत्र में विधि से संबंधित प्रश्न होंगे. विस्तृत पाठ्यक्रम निम्नानुसार है :-

परिशिष्ट "अ"

प्रारंभिक परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम

प्रथम प्रश्न-पत्र : सामान्य अध्ययन

1. भारतीय इतिहास एवं संस्कृति, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन प्रणाली.
2. राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से महत्वपूर्ण समकालीन घटनायें.
3. भारतवर्ष का भूगोल, मानवीय एवं प्राकृतिक संसाधन.
4. भारत की अर्थ-व्यवस्था का उद्योग, कृषि एवं वित्तीय क्षेत्रों में विकास.
5. सामान्य विज्ञान, महत्वपूर्ण वैज्ञानिक उपलब्धियां, विज्ञान एवं तकनीकी का भारत के विकास में योगदान.
6. प्रारंभिक सांख्यिकी विश्लेषण
7. सरल गणित शास्त्र तथा समरूपता एवं सममिति पर आधारित प्रश्नों द्वारा सामान्य मानसिक योग्यता का आंकलन.
8. खेलकूद, क्रीड़ाएं तथा विभिन्न कलाएं.
9. छत्तीसगढ़ के विशेष संदर्भ में भूगोल, इतिहास, संस्कृति, साहित्य विषय का अध्ययन.

1. History and Culture of India, Indian Polity.
2. Current events of national and international importance.
3. The geography of India, human and natural resources.
4. Indian economic development including progress in industry and agriculture and financial matters.
5. General Science : Important scientific development, Role of science and technology in the development of India.
6. Elementary statistical analysis.
7. Assessment of general mental ability through problems on simple mathematics and symmetries.
8. Sports, Games and the arts.
9. Geography, History, Culture and literature subject with special reference to Chhattisgarh.

प्रारंभिक परीक्षा

द्वितीय प्रश्न-पत्र : विधि

1. व्यवहार प्रक्रिया संहिता, 1908
2. भारतीय दंड संहिता, 1860
3. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973
4. भारतीय साक्ष्य नियंत्रण अधिनियम, 1872
5. छत्तीसगढ़ स्थान नियंत्रण संशोधन अधिनियम, 2002
6. संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882
7. भारतीय संविदा अधिनियम, 1872
8. छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 2002

1. Civil Procedure Code, 1908
2. Indian Penal Code, 1860
3. Criminal Procedure Code, 1973
4. Indian Evidence Act, 1872
5. C. G. Accommodation Control Amendment Act, 2002.
6. Transfer of Property Act, 1882
7. Indian Contract Act, 1872
8. C. G. Land Revenue Code, 2002

परिशिष्ट "ब"

(2) **मुख्य परीक्षा :-**

मुख्य परीक्षा में दो प्रश्न-पत्र होंगे, मुख्य परीक्षा की योजना एवं पाठ्यक्रम निम्नानुसार है :-

(1) प्रथम प्रश्न-पत्र- प्रश्न-पत्र 100 अंक का होगा तथा उसकी अवधि तीन घंटे की होगी. इस प्रश्न-पत्र में-

1. व्यवहार प्रक्रिया संहिता, 1908
Civil Procedure Code, 1908
2. भारतीय दंड संहिता, 1860
Indian Penal Code, 1860
3. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973
Criminal Procedure Code, 1973

4. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872
Indian Evidence Act, 1872

5. छत्तीसगढ़ स्थान नियंत्रण संशोधन अधिनियम, 2002
Chhattisgarh Accommodation Control Amendment Act, 2002.

6. संपत्ति अन्तरण अधिनियम, 1882
Transfer of Property Act, 1882

7. भारतीय संविदा अधिनियम, 1872
Indian Contract Act, 1872

8. छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 2002
C. G. Land Revenue Code, 2002.
में से कुल दस प्रश्न पूछे जायेंगे,
सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य
होगा.
प्रत्येक प्रश्न के अंक समान होंगे.

(2) द्वितीय प्रश्न-पत्र- द्वितीय प्रश्न-पत्र के दो भाग होंगे,

(एक) द्वितीय प्रश्न-पत्र- भाग एक
इसकी अवधि 1.1/2 (डेढ़) घंटे की होगी तथा इसमें निम्नानुसार प्रश्न होंगे-

(अ) दिये गये विषयों में से एक पर 300 शब्दों का सामान्य निबंध- 40 अंक

(ब) एक हिन्दी गद्यांश का अंग्रेजी में अनुवाद- 10 अंक

(स) एक अंग्रेजी गद्यांश का हिन्दी में अनुवाद- 10 अंक

(a) General essay on any of the given topics of maximum 300 words- 40 Marks.

(b) One passage in Hindi to be translated into English- 10 Marks.

(c) One passage in English to be translated into Hindi- 10 Marks.

(दो) द्वितीय प्रश्न-पत्र भाग-दो

यह प्रश्न-पत्र सिविल अथवा अपराधिक प्रकरण में एक आदेश लेखन का 40 अंक का होगा. इसकी अवधि 1.1/2 (डेढ़) घंटे की होगी.

(2) One order either in Civil or in Criminal case. Its duration will be 1.1/2 hours- 40 Marks.

उपर्युक्त समस्त प्रश्न-पत्र हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में होंगे.

परिशिष्ट "स"

सूचना- निम्नांकित कूपन को काटकर या इसकी फोटोकापी आवेदन-पत्र के लिफाफे पर चिपकाएं.

यहां से काटिए

यहां से काटिए

न्यायिक सेवा परीक्षा-2003

प्रति,

सचिव,
छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग,
शंकर नगर रोड, रायपुर 492001.

यहां से काटिए

यहां से काटिए

(आवेदन-पत्र की छायाप्रति/टंकित प्रति मान्य नहीं होगी. रोजगार और नियोजन में उपलब्ध आवेदन-पत्र ही भरकर भेजें.)

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग

न्यायिक सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2003 व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 हेतु आवेदन-पत्र

No.	01/2003/परीक्षा 02/04/2003		1.
आवेदन-पत्र क्रमांक	विज्ञापन क्रमांक एवं दिनांक	अनुक्रमांक (कार्यालय द्वारा भरा जायेगा)	नवीनतम फोटो चिपकायें. स्टेपल या पिन न करें. आकार 3.5 x 4.5 सेंटीमीटर

1. आवेदन-पत्र को गीला/गन्दा न करें. निर्धारित मोड़ पर ही मोड़ें.
2. कृपया इस फार्म को भरने से पहले रोजगार और नियोजन में इस परीक्षा से संबंधित विज्ञापन तथा उसमें दिए गए समस्त निर्देश सावधानीपूर्वक पढ़ लें. कोई जानकारी गलत या अपूर्ण न दें.
3. मुख्य परीक्षा हेतु इस फार्म में दी गई जानकारी को आधार माना जायेगा.
4. गोले ◯ को काला करने के लिए सिर्फ नीले या काले बॉल पेन का उपयोग करें.
5. बाक्स ☐ में लिखने के लिए नीले या काले बॉल पेन का प्रयोग करें.
6. आवेदन-पत्र एवं कम्प्यूटर पत्रक के लिए 5" x 11" लिफाफे का उपयोग करें.

हस्ताक्षर इस बाक्स में ही करें.

पहला मोड़ .... पहला मोड़

2. आवेदक का नाम (अंग्रेजी में लिखें) नाम के दो भागों के बीच में एक बाक्स को खाली छोड़ें.

3. (a) माता का नाम (अंग्रेजी में केवल नाम लिखें)

3. (b) पिता का नाम (अंग्रेजी में केवल नाम लिखें)

4. (a) पति का नाम (अंग्रेजी में केवल नाम लिखें)

4. (b) पत्नी का नाम (अंग्रेजी में केवल नाम लिखें)

5. आवेदक का पता (अंग्रेजी में लिखें)

6. लिंग
- पुरुष ①
- महिला ②

7. छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं
- हां ①
- नहीं ②

8. श्रेणी
- अनारक्षित ①
- अजा ②
- अजजा ③
- अपिव ④

(केवल छत्तीसगढ़ के मूल निवासी ही आरक्षित श्रेणी के अंतर्गत छूट पाने के पात्र होंगे)

दूसरा मोड़ .... दूसरा मोड़

नाम ____________________

पता 1 वर्तमान : ____________________

____

ग्राम/नगर ____________ जिला ____________

राज्य ____________ पिन कोड ☐☐☐☐☐☐

2. स्थाई पता : ____________________

ग्राम/नगर ____________ जिला ____________

राज्य ____________ पिन कोड ☐☐☐☐☐☐

9. जन्म की तारीख

DD		MM		YY	
दिन		माह		वर्ष	
①	①	①	①	①	①
②	②	⓪	②	②	②
③	③		③	③	③
⓪	④		④	④	④
	⑤		⑤	⑤	⑤
	⑥		⑥	⑥	⑥
	⑦		⑦	⑦	⑦
	⑧		⑧	⑧	⑧
	⑨		⑨	⑨	⑨
	⓪		⓪	⓪	⓪

बैंक ड्राफ्ट, आवेदक कम्प्यूटर पत्रक के भाग-II में दिये गये निर्धारित स्थान पर ही स्टेपल करें.

11. विधि उपाधि उत्तीर्ण करने की तिथि					
दिन		माह		वर्ष	
① ② ③ ⓪	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⓪	① ⓪	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⓪	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⓪	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⓪

विज्ञापन देखकर सही कोड भरें

12. प्रारंभिक परीक्षा केन्द्र कोड
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

विज्ञापन देखकर सही कोड भरें

13. मुख्य परीक्षा केन्द्र कोड
② ⑤

14. घोषणा

1. मैं एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूं कि जहां तक मेरी जानकारी और विश्वास है इस आवेदन-पत्र में मेरे द्वारा की गई प्रविष्टियां सच, पूरी और सही हैं. यदि कोई सूचना झूठी या गलत पाई जाये या परीक्षा से पहले या बाद में अपात्रता का पता चल जाये तो आयोग मेरे विरुद्ध रोजगार और नियोजन में यथा प्रकाशित न्यायिक सेवा परीक्षा के विज्ञापन में उल्लेखित कंडिका 12 (बारह) के अंतर्गत कार्यवाही कर सकता है.

2. मैंने विज्ञापन में प्रकाशित शर्तों तथा आयोग के निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लिया है और मैं एतद्द्वारा उनके पालन का वचन देता/देती हूं. मैं घोषणा करता/करती हूं कि मैं उक्त परीक्षा के लिए निर्धारित आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यताओं, अनुभव आदि से संबद्ध पात्रता की सभी शर्तों को पूरा करता/करती हूं.

3. मैंने अपने कार्यालय/विभाग प्रमुख को लिखित रूप में सूचित कर दिया है कि मैं इस परीक्षा के लिए आवेदन कर रहा/रही हूं.

4. मैं परीक्षा में शामिल होने के लिये केवल एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर रहा/रही हूं.

आवेदक के हस्ताक्षर

स्थान : ____________

तारीख : ____________

(हिन्दी में) (अंग्रेजी में)

(अहस्ताक्षरित आवेदन-पत्र रद्द किया जायेगा)

परीक्षार्थियों हेतु निर्देश एवं अनुदेश

न्यायिक सेवा परीक्षा

निम्नलिखित निर्देशों को सावधानीपूर्वक पढ़ने के उपरांत ही परीक्षार्थी परीक्षा में सम्मिलित हों. निर्देशों एवं अनुदेशों का पालन न करने पर परीक्षार्थी ऐसे दण्ड का भागी होगा, आयोग निर्धारित करे.

एक **प्रवेश-**

1. परीक्षा में परीक्षार्थी को दिया गया प्रवेश नितांत प्रावधिक है.
2. परीक्षा नियत समय पर प्रारंभ होगी. केन्द्राध्यक्ष की घड़ी का समय ही प्रमाणिक मानकर परीक्षा संचालन किया जायेगा. नियत समय के 15 मिनिट पश्चात् आने पर परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा.
3. परीक्षार्थी परीक्षा केन्द्र पर प्रवेश-पत्र हमेशा अपने साथ रखें.
4. अर्हता सुनिश्चित करने का पूर्ण दायित्व परीक्षार्थियों का स्वयं का है वे आश्वस्त हों कि नियमों के अधीन वे परीक्षा में प्रवेश की अर्हता रखते हैं. यदि ऐसा न हो तो वे परीक्षा में न बैठें.

दो **निर्गमन-**

1. सामान्यतः परीक्षार्थी को परीक्षा की अवधि में परीक्षा कक्ष से बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जावेगी. वीक्षक से विशेष अनुमति लेकर उनकी निगरानी में ही बाहर जाया जा सकेगा.
2. किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात् एक घंटे तक परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं दी जायेगी. भले ही उसने प्रश्न-पत्र हल कर लिया हो.
3. प्रश्न-पत्र हल करने के पश्चात् केन्द्राध्यक्ष/वीक्षक द्वारा उत्तर-पुस्तिका एकत्रित किये जाने के उपरांत ही परीक्षार्थी परीक्षा भवन छोड़ेगा. उत्तर-पुस्तिका सहित कक्ष से बाहर जाना अनुचित साधन प्रयोग के समान दंडनीय है.
4. निर्धारित समय समाप्त होने के उपरांत किसी भी परीक्षार्थी को अतिरिक्त समय प्रदान नहीं किया जायेगा. अतः निर्धारित समय के उपरांत कोई भी परीक्षार्थी न तो लिखे उत्तरों में कोई संशोधन करेगा और न ही शेष रहे प्रश्नों के उत्तर लिखने का प्रयास करेगा.

तीन **नाम और अनुक्रमांक-**

उत्तर-पुस्तिका पर परीक्षार्थी केवल निर्धारित स्थान पर ही अपना नाम और अनुक्रमांक लिखें. उत्तर-पुस्तिका के अन्य किसी भी भाग पर न तो अनुक्रमांक न अपना नाम और न ही पता अंकित करें. उत्तर-पुस्तिका के साथ अन्य कोई सामग्री संलग्न करना वर्जित है.

चार **अनुचित साधन-**

परीक्षार्थी परीक्षा प्रारंभ होने के पूर्व सुनिश्चित करें कि उनकी सीट पर, सीट के निकट, उनके पास कंपास, स्केल या पाकेट में कोई अवांछित सामग्री, कोई पुस्तक या अनावश्यक कागज आदि नहीं है. वे अनुचित साधन के प्रयोग से बचें.

परीक्षा कक्ष में अनुचित साधनों का प्रयोग सर्वथा वर्जित व दंडनीय है, परीक्षा भवन में अपने साथ कोई भी लिखित या कोरा कागज, पुस्तक, वस्तु, टीप आदि लाना परीक्षा कक्ष में अनुचित साधनों का प्रयोग में सम्मिलित माना जायेगा. इसी प्रकार परीक्षा कक्ष में अन्य परीक्षार्थी से चर्चा करना, उसकी उत्तर-पुस्तिका से नकल करना अथवा अपनी उत्तर-पुस्तिका से अन्य परीक्षार्थी को नकल कराना, किसी अन्य परीक्षार्थी से उत्तर-पुस्तिका बदलना, परीक्षा भवन में बोलना अथवा किसी प्रकार से अन्य परीक्षार्थी को किसी प्रश्न का उत्तर बताना अथवा किसी अन्य परीक्षार्थी से किसी प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने का कोई प्रयास करना या किसी कागज पर प्रश्न-पत्र की नकल करना भी अनुचित साधनों के प्रयोग के अंतर्गत माना जायेगा. परीक्षा भवन में अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर परीक्षार्थी द्वारा दी गई परीक्षा को निरस्त किया जा सकेगा, उसे परीक्षा से निष्कासित किया जा सकेगा. तथा साथ ही उसे आगामी ऐसी अवधि के लिए जो आयोग उचित समझे आयोग की सभी परीक्षाओं एवं साक्षात्कारों से वंचित किये जाने का दंड भी दिया जा सकेगा. इस संबंध में निर्देश 8 भी देखें.

पांच **प्रश्न-पत्र संबंधित शिकायत-**

यदि किसी परीक्षार्थी को प्रश्न-पत्र से संबंधित किसी प्रकार की शिकायत हो तो उसे लिखित रूप से केन्द्राध्यक्ष के माध्यम से या अलग से परीक्षा नियंत्रक को परीक्षा तिथि से 15 दिन के अन्दर रजिस्ट्री पोस्ट से भेज सकेंगे. परीक्षा तिथि के 15 दिन के भीतर आयोग कार्यालय में प्राप्त शिकायतों पर ही विचार किया जायेगा.

छह **उत्तर शीट का लौटाना-**

परीक्षा के उपरांत उत्तर-पुस्तिका वीक्षक को सौंपेंगे. परीक्षार्थी द्वारा किसी भी स्थिति में उत्तर-पुस्तिका परीक्षा कक्ष से बाहर ले जाना अथवा परीक्षा के उपरांत उसे वापस न दिया जाना कदाचरण माना जावेगा और इसके लिए उसे उस तरह दण्डित किया जावेगा, जिस तरह अनुचित साधनों के प्रयोग से दण्डित किये जाने का प्रावधान है.

सात **उत्तर-पुस्तिका पर अनुक्रमांक अंकन व अन्य पूर्तियां-**

1. उत्तर-पुस्तिका पर नियत स्थान पर परीक्षार्थी अपना सही नाम, और अनुक्रमांक शब्दों एवं अंकों में अंकित करें.
2. उत्तर-पुस्तिका पर कोई दाग/चिन्ह न लगने पाये, इस बात की सतर्कता बरतें.

आठ **प्रश्न-पत्र पर अंकन-**

परीक्षार्थी प्रश्न-पत्र पर भी अनुक्रमांक लिखें तथा रफ कार्य प्रश्नपत्र में दिये गये पृष्ठ पर ही करें इसके अतिरिक्त प्रश्न-पत्र पर कुछ भी लिखना, प्रश्न-पत्र की नकल करना या उसकी प्रति बनाना निषिद्ध होकर अनुचित साधन प्रयोग के समान दण्डनीय है.

नौ **उपस्थिति पत्रक-**

प्रत्येक प्रश्न-पत्र के समय परीक्षा कक्ष में वीक्षक के समक्ष परीक्षार्थी तिथि सहित अपने हस्ताक्षर करें, यह हस्ताक्षर नमूने के हस्ताक्षर के अनुरूप हो.

दस परीक्षार्थी सामान्य अध्ययन के प्रश्न-पत्र में साधारण (Non Scientific) केलकुलेटर का उपयोग कर सकेंगे. परीक्षार्थी आपस में केलकुलेटर की अदला-बदली नहीं करेंगे.

ग्यारह परीक्षार्थियों को अपने साथ डिजीटल डायरी, वाच केलकुलेटर, सेलुलर फोन और पेजर लाना कतई मना है.

बारह परीक्षार्थी उत्तर-पुस्तिका एवं प्रश्न-पत्रों पर दी गई समस्त सूचनाएं, निर्देश एवं अनुदेश ध्यानपूर्वक पढ़ें व उनका पालन करें. वे सतर्कता से इस उत्तरदायित्व को वहन करेंगे.

तेरह **अनुशासन व शालीनता-**

1. परीक्षा कक्ष में धूम्रपान करना अथवा अशिष्ट अनर्गल, वार्तालाप करना पूर्णतः निषिद्ध व दण्डनीय है.
2. परीक्षा परिसर में एवं भवन के अन्दर वीक्षक व केन्द्राध्यक्ष द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का पालन अनिवार्य है.
3. परीक्षा भवन के फर्नीचर अथवा केन्द्र पर की गई अन्य व्यवस्था को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जाना चाहिए, यह दण्डनीय है.
4. यदि परीक्षार्थी केन्द्राध्यक्ष द्वारा दिये निर्देशों का पालन नहीं करता है अथवा अशिष्ट उद्दण्ड आचरण करता है अथवा अनुचित या अशोभनीय या अशालीन व्यवहार करता है तो वह परीक्षा से निष्कासित किया जा सकेगा, उसकी परीक्षा निरस्त की जा सकेगी तथा वह ऐसे अन्य दण्ड का भी भागी होगा, जो आयोग उचित समझे. केन्द्राध्यक्षों को निर्देश दिये गये हैं कि ऐसे परीक्षार्थियों के नाम गोपनीय ढंग से आयोग को सूचित किये जायें. परीक्षा केन्द्र पर परीक्षार्थी केन्द्राध्यक्ष के पूर्ण प्रशासकीय नियंत्रण में होगा.

चौदह परीक्षार्थी को एक बार आवंटित परीक्षा संस्था या परीक्षा केन्द्र में प्रशासकीय सुविधा के अनुसार यथा आवश्यकता, यथा समय आयोग द्वारा परिवर्तन किया जा सकेगा. यह परिवर्तन परीक्षा के दौरान भी किया जा सकेगा.

डॉ. के. बी. सिंह,
परीक्षा नियंत्रक.

आप्टिकल स्कैनर द्वारा पढ़ी जाने वाली उत्तर-पुस्तिकाओं के उपयोग संबंधी निर्देश

टीप :- उत्तर-पुस्तिका का मूल्यांकन आप्टिकल स्कैनर/कम्प्यूटर द्वारा किया जावेगा अतः उत्तर-पुस्तिका का उपयोग नीचे बताई बातों पर आवश्यक ध्यान रखते हुए अत्यंत सावधानीपूर्वक करें.

1. आप अपने साथ परीक्षा कक्ष में कम से कम एक बाल पेन, दो एच. बी. पेन्सिल, एक-एक पेन्सिल शार्पनर व रबर अवश्य लाएं.

2. गोले भरने के लिए केवल एच. बी. पेन्सिल का ही उपयोग करें, अन्य किसी पेन्सिल या पेन का उपयोग न करें. गोलों को पूरी तरह गहरा काला करें. अधूरा, अस्पष्ट या हल्का काला करने पर उत्तर-पुस्तिका स्कैनर द्वारा नहीं जांची जा सकेगी.

3. उत्तर-पुस्तिका पर किसी प्रकार का रफकार्य न किया जाए. इस कार्य के लिए प्रश्न-पत्र पर अलग से स्थान निर्धारित है.

4. उत्तर-पुस्तिका अत्यन्त सावधानीपूर्वक रखें. उसे किसी तरह से मोड़ा या काटा न जाए और किसी प्रकार से गंदी न की जाए अन्यथा कम्प्यूटर/आप्टिकल स्कैनर उसे रद्द कर देगा.

5. उत्तर देना प्रारंभ करने के पहले सुनिश्चित कर लें कि उत्तर-पुस्तिका पर सभी प्रविष्टियां सही रूप से की गई हैं.

6. आपको प्रत्येक प्रश्न क्रमांक के सामने का केवल एक ही गोला काला करना है. एक से अधिक गोले को काला करने पर या गोलों को हल्का, अस्पष्ट या अधूरा काला करने पर या किसी अन्य पेन्सिल या स्याही से काला करने या किसी अन्य तरीके से कोई निशान जैसे (✓) या (X) लगाने पर उत्तर-पुस्तिका कम्प्यूटर/आप्टिकल स्कैनर द्वारा नहीं पढ़ी जायेगी.

7. उत्तर-पुस्तिका का अंकन के लिए सामान्य निर्देश-

   (अ) प्रश्नों के उत्तर : उत्तर-पुस्तिका पर यथास्थान उत्तर अंकित करने के अनुदेश दिये हैं. इन्हें ध्यान से पढ़ें. प्रश्नों के उत्तर देने के लिए उत्तर-पुस्तिका पर आवश्यक संख्या लिखी है. प्रत्येक प्रश्न क्रमांक के नीचे/सामने क्रमशः 4 गोले ए. बी. सी. डी. बने हैं. प्रश्नपत्र में प्रत्येक प्रश्न के 4 संभावित उत्तर ए. बी. सी. डी. दिए हैं. इनमें से केवल एक उत्तर सही है, सही उत्तर चुनकर संबंधित प्रश्न क्रमांक के नीचे/सामने बने गोले में से केवल एक गोला एच. बी. पेन्सिल से गहरा काला करें.

   (ब) उत्तर-पुस्तिका के सामने के पृष्ठ पर अपना नाम, अनुक्रमांक, जन्मतिथि, परीक्षा तिथि आदि भरने के लिए बने खानों में प्रविष्टि के लिए बाल पेन का उपयोग करें.

   (स) हस्ताक्षर-उत्तर-पुस्तिका पर निर्धारित स्थान पर बाल पेन से हस्ताक्षर करें.

   (द) उत्तर-पुस्तिका के पीछे के पृष्ठ पर अनुक्रमांक, जन्मतिथि, श्रेणी के कालम के गोलों में प्रविष्टि करने के लिए एच. बी. पेन्सिल का उपयोग कर संबंधित क्रमांक को काला करें.

रोल नं.	चित्र 1

2	2	4	0	1	1
0	0	0	●	0	0
1	1	1	1	●	●
●	●	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3
4	4	●	4	4	4
5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9

8. **रोल नं. की प्रविष्टि (चित्र एक)**

रोल नं. के खाने में बायें से दायें, 1 से 6 तक स्तंभ है. पहला स्तंभ लाख का दूसरा स्तंभ दस हजार का, तीसरा स्तंभ हजार का, चौथा स्तंभ सैकड़े का, पांचवां स्तंभ दहाई का एवं छटा स्तंभ इकाई का है. इनके नीचे 0 से 9 अंक लिखे हुए गोले हैं. इन्हीं में आपको अपने रोल नं. भरना

है. उदाहरणार्थ यदि आपका रोल नं. 224011 है तो आप पहले ऊपर की लाईन में चौकोर खाना में दर्शाये अनुसार रोल नं. पेन्सिल से लिखें तत्पश्चात् पहले स्तंभ के गोले क्रमांक 2, दूसरे स्तंभ के गोले क्रमांक 2, तीसरे स्तंभ के गोले क्रमांक 4, चौथे स्तंभ के गोले क्रमांक 0, पांचवें स्तंभ के गोले क्रमांक 1 तथा छठे स्तंभ के गोले क्रमांक 1 को पेन्सिल से गहरा काला करें.

9. **जन्मतिथि की प्रविष्टि (चित्र दो)**

जन्मतिथि के खाने में दिनांक (DD), मास (MM) तथा वर्ष (YY) इस तरह तीन कालम बने हैं. आप अपनी जन्मतिथि के अनुसार उपयुक्त खानों को भरें. जैसे आपकी जन्मतिथि 29 जुलाई 79 है तो आप दिनांक (DD) के कालम में दहाई के खाने में 2 का तथा इकाई के खाने में 9 का गोला गहरा काला करेंगे. मास के कालम में जुलाई के सामने का गोला गहरा काला करेंगे तथा वर्ष के कालम में दहाई के खाने में 7 का तथा इकाई के कालम में 9 का गोला गहरा काला करेंगे.

जन्मतिथि चित्र 2

2	9	JUL		7	9
DD		MM		YY	
□	□	Jan	○	□	□
⓪	⓪	Feb	○	⓪	⓪
①	①	Mar	○	①	①
●	②	Apr	○	②	②
③	③	May	○	③	③
	④	Jun	○	④	④
	⑤	Jul	●	⑤	⑤
	⑥	Sep	○	⑥	⑥
	⑦	Oct	○	●	⑦
	⑧	Nov	○	⑧	⑧
	●	Dec	○	⑨	●

10. **श्रेणी की प्रविष्टि (चित्र तीन)**

इस खाने में 2 स्तंभ दिए गए हैं, पहला स्तंभ दहाई दूसरा स्तंभ इकाई की है. इनके नीचे 0 से 4 तक के अंक दिए गए हैं. आप अपनी श्रेणी कोड नं. के अनुसार उपयुक्त गोलों को एच. बी. पेन्सिल से गहरा काला करें. जैसे यदि आपकी श्रेणी 02 है तो दहाई के कालम में 0 तथा इकाई के कालम में 2 को काला करें.

विशेष सूचना

प्रवेश-पत्र की प्रविष्टियां में त्रुटियां-

चित्र 3
श्रेणी

आवेदक उसे प्राप्त प्रवेश-पत्र में की गई प्रविष्टियों की जांच करें तथा किसी प्रकार की त्रुटि हो तो वे त्रुटि के निराकरण के लिए परीक्षा नियंत्रक छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग रायपुर के नाम से निम्नलिखित बिन्दुओं का समावेश करते हुए एक आवेदन-पत्र दें.

(1) त्रुटि का प्रकार (2) त्रुटि में वांछित सुधार (3) आवेदक का नाम (4) पिता/पति का नाम (5) पता (6) जन्मतिथि (7) अनुक्रमांक (8) प्रविष्टि क्रमांक (9) केन्द्र का नाम.

यात्रा भत्ता-

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के केवल छत्तीसगढ़ के मूल निवासी आवेदकों को मूल निवास, यात्रा का प्रमाण एवं जाति का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर परीक्षा में यात्रा भत्ता प्राप्त करने की पात्रता होगी.

कम्प्यूटर पत्रक

(कम्प्यूटर पत्रक की छायाप्रति/टंकित प्रति मान्य नहीं होगी. रोजगार और नियोजन में उपलब्ध कम्प्यूटर पत्रक ही भरकर भेजें.)

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग

न्यायिक सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2003 व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 हेतु कम्प्यूटर पत्रक भाग-I

No.	01/2003/परीक्षा 02/04/2003	
कम्प्यूटर पत्रक क्रमांक	विज्ञापन क्रमांक एवं दिनांक	अनुक्रमांक (कार्यालय द्वारा भरा जायेगा)

1. नवीनतम फोटो चिपकायें. स्टेपल या पिन न करें. आकार 3.5 x 4.5 सेंटीमीटर

1. कम्प्यूटर पत्रक को गीला/गन्दा न करें, निर्धारित मोड़ पर ही मोड़ें.
2. कम्प्यूटर पत्रक भाग-2 (तीसरे मोड़ के नीचे) में निर्धारित स्थान पर ही बैंक ड्राफ्ट स्टेपल करें.
3. कृपया इस फार्म को भरने से पहले रोजगार और नियोजन में इस परीक्षा से संबंधित विज्ञापन तथा उसमें दिए गए समस्त निर्देश सावधानीपूर्वक पढ़ लें, कोई जानकारी गलत या अपूर्ण न दें.
4. मुख्य परीक्षा हेतु इस फार्म में दी गई जानकारी को आधार माना जायेगा.
5. गोले ◯ को काला करने के लिए सिर्फ नीले या काले बॉल पेन का उपयोग करें.
6. बाक्स ☐ में लिखने के लिए नीले या काले बॉल पेन का प्रयोग करें.
7. आवेदन-पत्र एवं कम्प्यूटर पत्रक के लिए 5" x 11" लिफाफे का उपयोग करें.

हस्ताक्षर इस बाक्स में ही करें.

पहला मोड़ -- पहला मोड़

2. आवेदक का नाम (अंग्रेजी में लिखें) नाम के दो भागों के बीच में एक बाक्स को खाली छोड़ें.

3. (a) माता का नाम (अंग्रेजी में केवल नाम लिखें)

3. (b) पिता का नाम (अंग्रेजी में केवल नाम लिखें)

4. (a) पति का नाम (अंग्रेजी में केवल नाम लिखें)

4. (b) पत्नी का नाम (अंग्रेजी में केवल नाम लिखें)

5. आवेदक का पता (अंग्रेजी में लिखें)

6. लिंग
- पुरुष ①
- महिला ②

7. छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं
- हां ①
- नहीं ②

8. श्रेणी
1
- अनारक्षित ①
- अजा ②
- अजजा ③
- अपिव ④

(केवल छत्तीसगढ़ के मूल निवासी ही आरक्षित श्रेणी के अंतर्गत छूट पाने के पात्र होंगे)

दूसरा मोड़ -- दूसरा मोड़

नाम ______________________

पता । वर्तमान : ______________________

____

ग्राम / नगर ____________ जिला ____________

राज्य ____________ पिन कोड ☐☐☐☐☐☐

2. स्थाई पता : ______________________

ग्राम / नगर ____________ जिला ____________

राज्य ____________ पिन कोड ☐☐☐☐☐☐

9. जन्म की तारीख

DD		MM		YY	
दिन		माह		वर्ष	
①②③⓪	①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⓪	①⓪	①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⓪	①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⓪	①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⓪

तीसरा मोड़ -- तीसरा मोड़

भाग—II

बैंक ड्राफ्ट स्टेपल करने का स्थान

10 (अ) परीक्षा शुल्क का विवरण

आवेदन-पत्र क्रमांक No.

1. आवेदक का नाम : ____________
2. जन्म स्थान : ग्राम (शहर) ________ जिला ________
   राज्य ____________
3. क्या छ. ग. के मूल निवासी हैं ____________
4. श्रेणी ____________
5. राशि ____________
6. बैंक ड्राफ्ट क्रमांक ________ दि. ________
   जारीकर्ता बैंक का नाम एवं कोड ____________

(कृपया पृष्ठ भाग पर दिए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें)

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग

10. (ब) न्यायिक सेवा प्रारंभिक परीक्षा वर्ष 2003

पावती-पत्र

प्रविष्टि क्रमांक ☐

(कार्यालय द्वारा भरा जावेगा)

महत्वपूर्ण : इस पत्र के पिछले पृष्ठ पर अपना डाक का पता लिखें, तथा निर्धारित स्थान पर रु. 6/- का टिकिट चिपकाएं.

बैंक ड्राफ्ट, आवेदक भाग-II में दिये गये निर्धारित स्थान पर ही स्टेपल करें.

11. विधि उपाधि उत्तीर्ण करने की तिथि

दिन		माह		वर्ष	
①②③⓪	①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⓪	①⓪	①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⓪	①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⓪	①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⓪

विज्ञापन देखकर सही कोड भरें

12. प्रारंभिक परीक्षा केन्द्र कोड

☐

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

विज्ञापन देखकर सही कोड भरें

13. मुख्य परीक्षा केन्द्र कोड

☐

② ⑤

14. घोषणा

1. मैं एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूं कि जहां तक मेरी जानकारी और विश्वास है इस कम्प्यूटर पत्रक में मेरे द्वारा की गई प्रविष्टियां सच, पूरी और सही हैं. यदि कोई सूचना झूठी या गलत पाई जाये या परीक्षा से पहले या बाद में अपात्रता का पता चल जाये तो आयोग मेरे विरुद्ध रोजगार और नियोजन में यथा प्रकाशित न्यायिक सेवा परीक्षा के विज्ञापन में उल्लेखित कंडिका 12 (बारह) के अंतर्गत कार्यवाही कर सकता है.
2. मैंने विज्ञापन में प्रकाशित शर्तों तथा आयोग के निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लिया है और मैं एतद्द्वारा उनके पालन का वचन देता/देती हूं. मैं घोषणा करता/करती हूं कि मैं उक्त परीक्षा के लिए निर्धारित आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यताओं, अनुभव आदि से संबद्ध पात्रता की सभी शर्तों को पूरा करता/करती हूं.
3. मैंने अपने कार्यालय/विभाग प्रमुख को लिखित रूप में सूचित कर दिया है कि मैं इस परीक्षा के लिए आवेदन कर रहा/रही हूं.
4. मैं परीक्षा में शामिल होने के लिये केवल एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर रहा/रही हूं.

आवेदक के हस्ताक्षर

स्थान : ____________________

तारीख : ____________________

(हिन्दी में) (अंग्रेजी में)

(अहस्ताक्षरित कम्प्यूटर पत्रक रद्द किया जायेगा)

---

10 (ब) निरंतर

(आवेदक का पता)

रु. 6/- का टिकट चिपकाएं

नाम ____________________

पता ____________________

____

____

पिन [ ][ ][ ][ ][ ][ ]

10. (अ) निरंतर

विशेष :

(1) बैंक ड्राफ्ट अत्यंत सावधानी से भरें. अपूर्ण/गलत भरे ड्राफ्ट के कारण आवेदन-पत्र निरस्त कर दिया जायेगा.

(2) बैंक ड्राफ्ट निर्धारित स्थान पर स्टेपल करें अन्य किसी स्थान पर नहीं अन्यथा आवेदन-पत्र निरस्त कर दिया जायेगा.

(3) केवल छत्तीसगढ़ के मूल निवासी ही आरक्षित श्रेणी के अंतर्गत मान्य होंगे. अन्य प्रदेशों के उम्मीदवारों को अनारक्षित उम्मीदवारों के समान ही पात्रता होगी.

(4) बैंक ड्राफ्ट सचिव छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग रायपुर के नाम से बनवाकर भेजा जाये. बैंक ड्राफ्ट के पीछे आवेदक अपना पूरा नाम, जारी करने वाले बैंक-ब्रांच का पूरा नाम, पता तथा "न्यायिक सेवा प्रारंभिक परीक्षा वर्ष 2003" अवश्य लिखें.

कम्प्यूटर पत्रक

(कम्प्यूटर पत्रक की छायाप्रति/टंकित प्रति मान्य नहीं होगी. रोजगार और नियोजन में उपलब्ध कम्प्यूटर पत्रक ही भरकर भेजें.)

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग

न्यायिक सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2003 व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 हेतु कम्प्यूटर पत्रक भाग-I

No.	01/2003/परीक्षा 02/04/2003	
कम्प्यूटर पत्रक क्रमांक	विज्ञापन क्रमांक एवं दिनांक	अनुक्रमांक (कार्यालय द्वारा भरा जायेगा)

1\. नवीनतम फोटो चिपकायें. स्टेपल या पिन न करें. आकार 3.5 x 4.5 सेंटीमीटर

1. कम्प्यूटर पत्रक को गीला/गन्दा न करें. निर्धारित मोड़ पर ही मोड़ें.
2. कम्प्यूटर पत्रक भाग-2 (तीसरे मोड़ के नीचे) में निर्धारित स्थान पर ही बैंक ड्राफ्ट स्टेपल करें.
3. कृपया इस फार्म को भरने से पहले रोजगार और नियोजन में इस परीक्षा से संबंधित विज्ञापन तथा उसमें दिए गए समस्त निर्देश सावधानीपूर्वक पढ़ लें. कोई जानकारी गलत या अपूर्ण न दें.
4. मुख्य परीक्षा हेतु इस फार्म में दी गई जानकारी को आधार माना जायेगा.
5. गोले ○ को काला करने के लिए सिर्फ नीले या काले बॉल पेन का उपयोग करें.
6. बाक्स ☐ में लिखने के लिए नीले या काले बॉल पेन का प्रयोग करें.
7. आवेदन-पत्र एवं कम्प्यूटर पत्रक के लिए 5" x 11" लिफाफे का उपयोग करें.

हस्ताक्षर इस बाक्स में ही करें.

G. P. Mishra

पहला मोड़ -- पहला मोड़

2\. आवेदक का नाम (अंग्रेजी में लिखें) नाम के दो भागों के बीच में एक बाक्स को खाली छोड़ें.

G	O	V	I	N	D		P	R	A	S	A	D			
M	I	S	H	R	A										

3\. (a) माता का नाम (अंग्रेजी में केवल नाम लिखें)

O	O	R	J	A											

3\. (b) पिता का नाम (अंग्रेजी में केवल नाम लिखें)

A	M	A	R												

4\. (a) पति का नाम (अंग्रेजी में केवल नाम लिखें)

4\. (b) पत्नी का नाम (अंग्रेजी में केवल नाम लिखें)

P	R	A	G	Y	A										

5\. आवेदक का पता (अंग्रेजी में लिखें)

6\. लिंग

[1]

पुरुष ●

महिला ②

7\. छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं

[1]

हां ●

नहीं ②

8\. श्रेणी

[1]

अनारक्षित ●

अजा ②

अजजा ③

अपिव ④

(केवल छत्तीसगढ़ के मूल निवासी ही आरक्षित श्रेणी के अंतर्गत छूट पाने के पात्र होंगे)

दूसरा मोड़ -- दूसरा मोड़

नाम : GOVIND PRASAD MISHRA
पता । वर्तमान : HIGH COURT ROAD
BILASPUR
ग्राम/नगर BILASPUR जिला BILASPUR
राज्य CHHATTISGARH पिन कोड 4 9 5 0 0 1

9. जन्म की तारीख

DD	MM	YY
दिन	माह	वर्ष

2. स्थाई पता : SATTI BAZAR
ग्राम/नगर RAIPUR जिला RAIPUR
राज्य CHHATTISGARH पिन कोड 4 9 2 0 0 1

तीसरा मोड़ -- तीसरा मोड़

भाग—II

बैंक ड्राफ्ट स्टेपल करने का स्थान

10 (अ) परीक्षा शुल्क का विवरण

आवेदन-पत्र क्रमांक No.

1. आवेदक का नाम: गोविन्द प्रसाद मिश्रा
2. जन्म स्थान : ग्राम (शहर) : रायपुर जिला : रायपुर
   राज्य : छत्तीसगढ़
3. क्या छ. ग. के मूल निवासी हैं : हां
4. श्रेणी : अनारक्षित
5. राशि : रु. 150/- (एक सौ पचास)
6. बैंक ड्राफ्ट क्रमांक 66587 दि. 3-5-2003
   जारीकर्ता बैंक का नाम एवं कोड : भारतीय स्टेट बैंक, कचहरी शाखा, रायपुर 013314

(कृपया पृष्ठ भाग पर दिए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें)

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग

10. (ब) न्यायिक सेवा प्रारंभिक परीक्षा वर्ष 2003

पावती-पत्र

प्रविष्टि क्रमांक

(कार्यालय द्वारा भरा जावेगा)

महत्वपूर्ण : इस पत्र के पिछले पृष्ठ पर अपना डाक का पता लिखें. तथा निर्धारित स्थान पर रु. 6/- का टिकिट चिपकाएं.)

बैंक ड्राफ्ट, आवेदक भाग-II में दिये गये निर्धारित स्थान पर ही स्टेपल करें.

11. विधि उपाधि उत्तीर्ण करने की तिथि

0 1	0 5	9 9
दिन	माह	वर्ष

विज्ञापन देखकर सही कोड भरें

12. प्रारंभिक परीक्षा केन्द्र कोड

2

विज्ञापन देखकर सही कोड भरें

13. मुख्य परीक्षा केन्द्र कोड

2

14. घोषणा

1. मैं एतद्‌द्वारा घोषणा करता/करती हूं कि जहां तक मेरी जानकारी और विश्वास है इस कम्प्यूटर पत्रक में मेरे द्वारा की गई प्रविष्टियां सच, पूरी और सही हैं. यदि कोई सूचना झूठी या गलत पाई जाये या परीक्षा से पहले या बाद में अपात्रता का पता चल जाये तो आयोग मेरे विरुद्ध रोजगार और नियोजन में यथा प्रकाशित न्यायिक सेवा परीक्षा के विज्ञापन में उल्लेखित कंडिका 12 (बारह) के अंतर्गत कार्यवाही कर सकता है.
2. मैंने विज्ञापन में प्रकाशित शर्तों तथा आयोग के निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लिया है और मैं एतद्‌द्वारा उनके पालन का वचन देता/देती हूं. मैं घोषणा करता/करती हूं कि मैं उक्त परीक्षा के लिए निर्धारित आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यताओं, अनुभव आदि से संबद्ध पात्रता की सभी शर्तों को पूरा करता/करती हूं.
3. मैंने अपने कार्यालय/विभाग प्रमुख को लिखित रूप में सूचित कर दिया है कि मैं इस परीक्षा के लिए आवेदन कर रहा/रही हूं.
4. मैं परीक्षा में शामिल होने के लिये केवल एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर रहा/रही हूं.

आवेदक के हस्ताक्षर

स्थान : रायपुर

तारीख : 2-5-2003

गोविंद प्रसाद मिश्रा	G. P. MISHRA
(हिन्दी में)	(अंग्रेजी में)

(अहस्ताक्षरित कम्प्यूटर पत्रक रद्द किया जायेगा)

---

10 (ब) निरंतर

रू. /- का टिकट चिपकाएं

(आवेदक का पता)

नाम GOVIND PRASAD MISHRA

पता HIGH COURT ROAD BILASPUR (C.G.)

पिन 4 9 2 0 0 1

10. (अ) निरंतर

विशेष :

(1) बैंक ड्राफ्ट अत्यंत सावधानी से भरें. अपूर्ण/गलत भरे ड्राफ्ट के कारण आवेदन-पत्र निरस्त कर दिया जायेगा.

(2) बैंक ड्राफ्ट निर्धारित स्थान पर स्टेपल करें अन्य किसी स्थान पर नहीं अन्यथा आवेदन-पत्र निरस्त कर दिया जायेगा.

(3) केवल छत्तीसगढ़ के मूल निवासी ही आरक्षित श्रेणी के अंतर्गत मान्य होंगे. अन्य प्रदेशों के उम्मीदवारों को अनारक्षित उम्मीदवारों के समान ही पात्रता होगी.

(4) बैंक ड्राफ्ट सचिव-छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग रायपुर के नाम से बनवाकर भेजा जाये. बैंक ड्राफ्ट के पीछे आवेदक अपना पूरा नाम, जारी करने वाले बैंक-ब्रांच का नाम, पता तथा "न्यायिक सेवा प्रारंभिक परीक्षा वर्ष 2003" अवश्य लिखें.

न्यायिक सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2003 (व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2) के आवेदन-पत्र भरने हेतु सहायता निर्देश

रोजगार और नियोजन में छपे कम्प्यूटर पत्रक व आवेदन-पत्र को ही प्रयोग में लाएं. इसकी छायाप्रति, टंकित प्रति मान्य नहीं की जायेगी.

इस आवेदन-पत्र को भरने से पहले आप- (1) एक काली या नीली स्याही का बाल पेन (2) 5" x 11" का एक लिफाफा रख लें.

आवेदन-पत्र क्रमांक को नोट कर अपने पास रखें. परीक्षा संबंधी पत्राचार में इस क्रमांक को संदर्भ के रूप में लिखें.

आइये अब प्रत्येक क्रमांक को क्रमवार भरें.

1. आवेदक अपना 3.5 x 4.5 सेंटीमीटर आकार का नवीनतम फोटो ही अनिवार्यतया चिपकाएं. स्टेपल या पिन से ना लगायें. फोटो के नीचे बने खाने में ही अपने हस्ताक्षर करें. याद रखें कि ये ही हस्ताक्षर आपको आवेदन-पत्र में हर उस स्थान पर करने हैं जहां आपसे हस्ताक्षर मांगे जाएं.

2. आवेदक अपना पूरा नाम (जिसमें नाम, मध्य नाम और उपनाम सम्मिलित है) बाक्सों में काली या नीली स्याही के बाल पेन से लिखें. निर्देशानुसार अंग्रेजी में और प्रत्येक भाग के पश्चात् एक बाक्स खाली छोड़ते हुए.

यथा :- आवेदक का नाम (अंग्रेजी में लिखें) नाम के दो भागों के बीच में एक बाक्स को खाली छोड़ें.

G	O	V	I	N	D		P	R	A	S	A	D			
M	I	S	H	R	A										

3. (अ) आवेदक अपनी माता का केवल नाम अंग्रेजी में काली या नीली स्याही के बाल पेन से लिखें.

(ब) आवेदक अपने पिता का केवल नाम अंग्रेजी में काली या नीली स्याही के बाल पेन से लिखें. यथा :-

(अ) माता का नाम (अंग्रेजी में केवल नाम)

(अ) | O | O | R | J | A | | | | | |

(ब) पिता का नाम (अंग्रेजी में केवल नाम)

(ब) | A | M | A | R | | | | | | |

4. (अ) आवेदिका यदि विवाहित हो तो अपने पति का केवल नाम अंग्रेजी में काली या नीली स्याही के बाल पेन से लिखें.

(ब) आवेदक यदि विवाहित हो तो अपनी पत्नी का केवल नाम अंग्रेजी में काली या नीली स्याही के बाल पेन से लिखें. यथा :-

(अ) पति का नाम (अंग्रेजी में केवल नाम)

| | | | | | | |

(ब) पत्नी का नाम (अंग्रेजी में केवल नाम)

| P | R | A | G | Y | A | |

नोट :- जो कालम उपयोगी ना हो उन्हें खाली छोड़ दें. नमूने के फार्म में पति का नाम खाली छोड़ा गया है.

5. आवेदक अपना पता बड़े अक्षरों में (CAPITAL LETTERS) में काली या नीली स्याही के बाल पेन से साफ-साफ लिखें. यदि केवल एक ही पता हो (अर्थात् केवल स्थायी या केवल वर्तमान पता ही हो) तो जो पता ना हो उसके सामने की रेखा पर आड़ी (-------------) लकीर खींच दें या SAME लिख दें.

कृपया नोट करें- आयोग कार्यालय आपको आपका प्रवेश-पत्र पता क्रमांक-1 पर ही भेजेगा. आवेदक का पता (अंग्रेजी में लिखें)

नाम	GOVIND PRASAD MISHRA
पता (1) वर्तमान	HIGH COURT ROAD.
ग्राम/नगर	BILASPUR जिला BILASPUR
राज्य	CHHATTISGARH पिन 495001
(2) स्थायी	SATTI BAZAR
ग्राम/नगर	RAIPUR जिला RAIPUR
राज्य	CHHATTISGARH पिन 492001

नोट :- आवेदक का नाम वर्तमान पता, स्थायी पता सभी उदाहरणार्थ हैं वास्तविक नहीं.

6. आवेदक जिस लिंग का हो उसके सामने वाले गोले को काली या नीली स्याही के बाल पेन से पूरी तरह काला कर दें. बाक्स में काली या नीली स्याही के बाल पेन से काले किये गोले में लिखा नम्बर लिख दें. यथा :-

अर्थात् आवेदक पुरुष है.

नोट :- आवेदक कृपया काले किए गोले 0 क्रमांक ही उसके ऊपर दिए बाक्स [ ] में लिखें. काले किए गोले 0 के क्रमांक और बाक्स [ ] में लिखें. अंक में अंतर आने पर बाक्स [ ] में लिखा अंक ही मान्य किया जायेगा. अतः 0 गोले एवं बाक्स [ ] अत्यंत सावधानी से भरें.

7. आवेदक अपनी वस्तुस्थिति के सामने वाले गोले को काली या नीली स्याही वाले बाल पेन से काला करें, तदनुसार बाक्स में गोले में लिखा नंबर लिख दें.

यथा :-

छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं		
हां	(●)	[1]
नहीं	(2)	

अर्थात् आवेदक छ. ग. का मूल निवासी है.

8. आवेदक अपनी सही श्रेणी काली या नीली स्याही के बाल पेन से संबंधित गोला काला कर दर्शायें. बाक्स में काली या नीली स्याही के बाल पेन से गोले में लिखा नम्बर लिख दें.

यथा :-

श्रेणी		
अनारक्षित	(●)	[1]
अ. जा.	(2)	
अ. ज. जा.	(3)	
अ. पि. व.	(4)	

(केवल छत्तीसगढ़ के मूल निवासी ही आरक्षित श्रेणी के अंतर्गत छूट पाने के पात्र होंगे.)

अर्थात् आवेदक की श्रेणी अनारक्षित है.

विशेष :- श्रेणी संबंधित जानकारी सही दें व पूरी सावधानी से अपनी श्रेणी के सामने वाला गोला काला करें. यदि आवेदक छत्तीसगढ़ का मूल निवासी नहीं है तो उसकी श्रेणी अनारक्षित ही मानी जावेगी. अर्थात् कोई भी आरक्षित श्रेणी की छूट आवेदक को नहीं दी जावेगी. गलत जानकारी ना दें क्योंकि इससे आपकी उम्मीदवारी निरस्त हो सकती है.

9. आवेदक अपनी सही जन्म की तारीख (जो दसवीं या बारहवीं की अंकसूची या प्रमाण-पत्र में अंकित हो) काली या नीली स्याही के बाल पेन से संबंधित दिन, माह, वर्ष का गोला/गोलों को काला कर दर्शायें. दिन, माह, वर्ष के ऊपर दिये बाक्सों में काली या नीली स्याही के बाल पेन से उन अंक/अंकों को भर दें, जिन्हें काला किया है.

यथा :-

जन्म की तारीख					
D	D	M	M	Y	Y
[0]	[9]	[0]	[7]	[7]	[9]
1	1	1	1	1	1
2	2	●	2	2	2
3	3		3	3	3
●	4		4	4	4
	5		5	5	5
	7		●	●	7
	8		8	8	8
	●		9	9	●
	0		0	0	0

अर्थात् आवेदक की जन्म तारीख 09-7-79 है (जैसा कि गोले काले किये गये हैं एवं उसके ऊपर दिए बाक्स भरे गये हैं)

विशेष- जन्म तारीख सही देवें. सुनिश्चित कर लें कि आप आयु सीमा में हैं. यदि आपकी उम्र कम या ज्यादा है तो आप आवेदन न करें. कम या अधिक (निर्धारित) आयु के आवेदक परीक्षा के लिए पात्र नहीं होंगे. आयु की गणना दिनांक 1-1-2004 के सन्दर्भ में की जायेगी. विज्ञापन में आयु सीमा के संबंध में दिये निर्देश सावधानी से पढ़कर ही आवेदन-पत्र भरें.

2. आयु में छूट केवल छत्तीसगढ़ के मूल निवासी के लिये ही है.

10. (अ) परीक्षा शुल्क का विवरण निर्देशानुसार देवें. आवेदक अपना शुल्क **केवल बैंक ड्राफ्ट** से आयोग को भेजें. शुल्क का पूर्ण विवरण काली या नीली स्याही के बाल पेन से ही लिखें. यथा :-

10. (अ) परीक्षा शुल्क का विवरण		
1. आवेदक का नाम	:	गोविन्द प्रसाद मिश्रा
2. जन्म स्थान	:	शहर रायपुर, जिला रायपुर राज्य छत्तीसगढ़
3. क्या छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं.	:	हां
4. श्रेणी	:	अनारक्षित
5. राशि	:	रु. 150 (एक सौ पचास रु.)
6. बैंक ड्राफ्ट क्रमांक	:	66587 दिनांक 02-05-2003
7. जारीकर्ता बैंक का नाम एवं कोड.	:	भारतीय स्टेट बैंक, कचहरी शाखा, रायपुर-013314
(कृपया पृष्ठ भाग पर दिये निर्देशों को ध्यान से पढ़ें.		

नोट :- बैंक ड्राफ्ट क्रमांक, बैंक का नाम, बैंक कोड सभी उदाहरणार्थ हैं, वास्तविक नहीं.

महत्वपूर्ण :- बैंक ड्राफ्ट अपनी श्रेणी के अनुसार निर्धारित शुल्क से भरकर प्रस्तुत करें. यदि अनारक्षित हैं तो 150/- रुपये का यदि आरक्षित हैं तो 75/- रुपये का. आरक्षित श्रेणी ऐसे आवेदक जो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हों वे ही आरक्षित श्रेणी का लाभ प्राप्त करने के लिये मान्य होंगे. छत्तीसगढ़ के बाहर के सभी आवेदक अनारक्षित की श्रेणी में आएंगे. वे तदनुसार ही शुल्क भरेंगे.

2. बैंक ड्राफ्ट सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर के नाम पर हो.

3. बैंक ड्राफ्ट को कम्प्यूटर पत्रक के भाग दो पर तीसरे मोड़ के लिये निर्देशित स्थान पर स्टेपल करें. अन्य स्थान के ऊपर कदापि न लगाएं.

11. आवेदक विधि उपाधि प्राप्ति की तिथि जो कि उसके प्रमाण-पत्र या विधि पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष (उत्तीर्ण) की अंकसूची में अंकित हो काली या नीली स्याही के बाल पेन से संबंधित दिन, माह, वर्ष के गोले/गोलों को काला कर दर्शायें. दिन, माह, वर्ष के ऊपर दिये

बाक्सों में काली या नीली स्याही के बाल पेन से उन अंक/अंकों को भर दें जिन्हें काला किया है.

यथा :- विधि उपाधि उत्तीर्ण करने की तिथि

0	1	0	5	9	9
1	(●)	1	1	1	1
2	2	(●)	2	2	2
3	3		3	3	3
4	4		4	4	4
5	5		(●)	5	5
6	6		6	6	6
7	7		7	7	7
8	8		8	8	8
9	9		9	(●)	(●)
(●)	0	0	0	0	0

अर्थात् आवेदक के उपाधि उत्तीर्ण करने की तिथि 1-5-99 है. (यह तिथि उदाहरणार्थ है वास्तविक नहीं) इस संबंध में विज्ञापन में प्रकाशित आवश्यक अर्हता संबंधी निर्देश अवश्य पढ़ें.

12. प्रारंभिक परीक्षा के लिये केन्द्र कोड क्रमांक, रोज़गार और नियोजन के विज्ञापन (आवेदन-पत्र के साथ दिये) में अच्छी तरह देखकर काली या नीली स्याही के बाल पेन से उक्त केन्द्र के क्रमांक वाले गोले को काला करें. तदनुसार बाक्स में उक्त क्रमांक को काली या नीली स्याही के बाल पेन से लिखें.

यथा :- प्रारंभिक परीक्षा केन्द्र कोड

[2]
1
(●)
3
4
5
6
7

अर्थात् केन्द्र का नाम 02 जो कि बिलासपुर का है, आवेदक द्वारा भरा गया है.

विशेष-

1. एक बार भरा केन्द्र सामान्यतः बदला नहीं जायेगा.

2. केन्द्र के लिए विकल्प छत्तीसगढ़ के मूल निवासी ही भरें. छत्तीसगढ़ के मूल निवासी को भी स्थान की अनुपलब्धता एवं अन्य प्रशासनिक कारणों से मांगे गये केन्द्र के स्थान पर अन्य परीक्षा केन्द्र दिया जा सकता है. इस संबंध में आयोग का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा.

3. छत्तीसगढ़ के बाहर के आवेदकों को केन्द्र आवंटन आयोग द्वारा किया जायेगा.

4. टी. ए. की सुविधा की दृष्टि से अ. जा./अ. ज. जा./अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों से अपेक्षा है कि वे अपने निवास स्थान से निकटतम केन्द्र ही भरें.

5. आवश्यकतानुसार केन्द्र बढ़ाये/घटाये जा सकते हैं जिसकी सूचना (केन्द्र कोड एवं केन्द्र का नाम केन्द्रांक के साथ) आवेदक को प्रवेश-पत्र में दी जायेगी.

13. मुख्य परीक्षा दो केन्द्रों पर (केन्द्र क्रमांक 2 बिलासपुर और केन्द्र क्रमांक 5 रायपुर) संपादित की जाएगी. आवेदक मुख्य परीक्षा हेतु अपने केन्द्र का चयन केन्द्र के क्रमांक वाले गोलों को काला कर दर्शायें. तदनुसार बाक्स में उक्त क्रमांक को काली या नीली स्याही के बाल पेन से लिखें, यथा :-

13.

मुख्य परीक्षा केन्द्र कोड
● [2] 5

अर्थात् केन्द्र क्रमांक 2 जो कि बिलासपुर का है, आवेदक द्वारा मांगा गया है.

14. आवेदक घोषणा को अच्छी तरह पढ़कर हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में अपने हस्ताक्षर करें. बिना हस्ताक्षर के आवेदन-पत्र निरस्त कर दिया जायेगा. स्थान और दिनांक भी भरें.

10. (ब) आवेदक अपना पता (जिस पर आवेदन-पत्र प्राप्ति की सूचना भेजी जाएगी) स्पष्ट अक्षरों में लिखें. रुपये 6/- मूल्य का टिकट लगाना न भूलें, अन्यथा आयोग कार्यालय द्वारा प्राप्ति भेजना संभव नहीं होगा. पता नीली या काली स्याही के बाल पेन से लिखें.

10. (अ) विशेष को अच्छी तरह पढ़कर सुनिश्चित कर लें कि आपने यह कार्यवाही निर्देशानुसार पूरी कर ली है. अब आवेदक ने अपना आवेदन-पत्र पूरा भर लिया है. एक बार पुनः सभी 14 बिन्दुओं का निरीक्षण परीक्षण कर लें.

याद रखें :- (1) इस पर बैंक ड्राफ्ट स्टेपल करना है. (भाग-II तीसरे मोड़ के नीचे) (2) इसके अलावा कोई भी प्रमाण-पत्र यहां ना लगावें. आवेदन-पत्र को सही मोड़ों पर मोड़ कर 5" X 11" के लिफाफे में रखें अन्यथा स्केनिंग करना संभव नहीं होगा.

लिफाफे पर पता लिखें :-

प्रति,

सचिव,
छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग,
शंकर नगर रोड,
रायपुर-492001

सभी आवेदकों को लिफाफे पर **'न्यायिक सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2003'** लिखना होगा. अब इस लिफाफे को रजिस्ट्री, यू. पी. सी., साधारण डाक या स्वयं आयोग कार्यालय को प्रेषित करें. ध्यान रखें कि यह आवेदन-पत्र दिनांक 03-05-2003 को सायंकाल 5.30 बजे तक आयोग कार्यालय में प्राप्त हो जाये.

परीक्षा नियंत्रक

विज्ञापन

अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग को औद्योगिक क्षेत्र एवं विकास केन्द्र में मुफ्त भूमि/शेष आवंटन

राज्य शासन की औद्योगिक नीति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए घोषित विशेष सुविधाओं में भूमि एवं शेड आवंटन करने के संदर्भ में छत्तीसगढ़ में स्थापित औद्योगिक क्षेत्रों एवं विकास केन्द्रों में ऐसे उद्यमियों को मुफ्त भूमि/शेड उपलब्ध कराये जाने के संबंध में प्रकरण विचाराधीन था.

2. राज्य शासन द्वारा विचारोपरान्त निर्णय लिया गया है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों द्वारा उद्योग स्थापना हेतु भू-खण्ड की मांग औद्योगिक क्षेत्रों एवं विकास केन्द्रों में करने पर 1.00 रुपया प्रब्याजि तथा 1.00 रुपया भू-भाटक प्रति वर्ष की सांकेतिक दर से निम्नानुसार भूमि आवंटन की जा सकेगी :-

(1) निर्मित क्षेत्र 1000 वर्ग मीटर तक होने पर निर्मित क्षेत्र के 3 गुना तक भूमि आवंटन किया जा सकेगा.

(2) निर्मित क्षेत्र 1000 वर्ग मीटर से अधिक होने पर निर्मित क्षेत्र के 2 गुना तक भूमि आवंटन किया जा सकेगा.

3. यह स्वीकृति वित्त विभाग की सहमति से जारी की जा रही है

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2003.